रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 19 जुलाई, 2008 / 28 आषाढ़, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 07 जुलाई, 2008

संख्याः इण्ड–।।(बी)2–20 / 2006.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लाके सेवा आयोग के परामर्श से, उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश, में प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र), वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसचूना से संलग्न उपाबन्ध –'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातृ :––

।. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र) वर्ग–II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृतियां.––1. इस विभाग की अधिूसचना संख्याः उद्योग–II (ख)2–39 / 95 तारीखः 31–03–1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र), वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

2. ऐसे निरसन के होते हुए भी उपयुर्क्त उप–नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएंगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षतिर / –
प्रधान सचिव (उद्योग)।

————————

उपाबन्ध–''क''

उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश में प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र), वर्ग–III (अराजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र)
2.	पदों की संख्या	06 (छः)
3.	वर्गीकरण वर्ग–III	(अराजपत्रित)
4.	वेतनमान :	5000–160–5800–200–7000–220–8100 रूपए।
5.	''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद	अचयन।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयुः	''18 से 45 वर्ष''

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत्त अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या सं विदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छटू का पात्र नही ं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छटू दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर / निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय, ऐसे पब्लिक सेक्टर /

		निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर / निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गये थे। (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस स` की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है। (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यनूतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	(क) अनिवार्य अर्हताः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष। (ख) वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं। शैक्षणिक अर्हता : लागू नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10.	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः	I) 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर। II) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा :	उद्यागे विभाग के लिपिकों/कनिष्ठ सहायकों में से, जिनका ग्रेड में कम से कम 8 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो को सम्मिलित करके 8 वर्ष की नियमित सेवाकाल हो प्रोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए उच्च वेतनमान में कार्यरत पदधारियों को सामूहिक रूप से पात्र व्यक्तियों से ऊपर रखा जाएगा और तत्पश्चात् दूसरे निम्न वेतनमान के पदधारियों को उनके नीचे रखा जाएगा । टिप्पण :–– (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी ; परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल; तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे; परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी; परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/समझे जाएंगे। **स्पष्टीकरणः**–– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा

		जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों ।
		(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादी,यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15– (क)	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	**(i) संकल्पनाः** (क) इस पॉलिसी के अधीन उद्यागे विभाग, में प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र) को सविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया

जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवेवाएं चयन बोर्ड़ के कार्यक्षेत्र में आना :

निदेशक, उद्यागे विभाग, रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, अध्यपेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) सविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र) को, 7500/– रुपए की दर से नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो वेतन के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक वर्ष की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 160/– रुपए (जो पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्वि के बराबर होगी) वार्षिक वृद्धि क` रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(iii) नियुक्ति/अनुशुशासन प्राधिकारी :

निदेशक उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(iv) चयन प्रक्रिया :

सविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् जैसी हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(vi) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्, इन नियमों से सल्गंन उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vii) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7500/– रुपए की दर से संविदात्मक रकम (जो वेतन के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 160/–रूपये (जो पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्वि के बराबर होगी) वार्षिक वृद्वि के रूप में अनुज्ञात किए जाएगें और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पर्णूतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और कलैण्डर वर्ष में आकस्मिक अवकाश का उपयोग न करने पर कलैण्डर वर्ष की समाप्ति कर यह व्यपगत हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसे कि नियमित/प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम् पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(viii) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकारः

इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी अवस्था में विभाग में प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र) के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमले न का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण। सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ें वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगीं।

17. विभागीय परीक्षा। लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति। जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयागे के परामर्श से, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध 'ख'

निदेशक उद्योग, के माध्यम से प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र), और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निष्पादित की जाने वाले संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति .....सुपुत्र / सुपुत्री श्री..... ..... निवासी ....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निदेशक उद्योग, के माध्यम से ((जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) के मध्य आज तारीख ..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:——

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र) के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात् ..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक मानदेय मु0: 7500 / — रूपए प्रतिमाह होगा । (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी)।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्व नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया था, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी अवस्था में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदात्मक प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक सूचित किया जा सकेगा। संविदात्मक प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र) कर्त्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी अवस्था में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक,

अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थी का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

9. संविदा पर नियुक्त प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र) का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी पद पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी प्रबन्धक औद्योगिक सम्पदा (क्षेत्र) को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख माह.....और वर्ष..... में अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

(Authoritative English Text of this Department Notification No.Ind-II (Kha) 2-20/2006 Dated: 07-07-2008 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 07*th July*, 2008

No.Ind-II (B) 2-20/2006.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal

Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Manager (Industrial Estate), Class-III (Non Gazetted) in the Department of Industries, Himachal Pradesh as per **Annexure-A** attached to this notification, namely:—

1. *Short title and Commencement:*—1. These rules may be called the Himachal Pradesh, Industries Department, Manager (Industrial Eatate), Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and Savings.*—1. The Himachal Pradesh, Industries Department, Manager (Industrial Estate) Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified *vide* this department Notification No. Udyog-II (Kha) 2-39/95 dated: 31-03-1997 are hereby repealed.

2. Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule (I) supra shall be deemed to have been validity made or done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By Order,
Sd/-
Principal Secretary.

———

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MANAGER (INDUSTRIAL ESTATE) CLASS-III, (NON GAZZETTED) IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the Post	Manager (Industrial Estate)
2.	Number of Post(s)	06 (Six)
3.	Classification Class-III	(Non gazetted)
4.	Scale of Pay	Rs. 5000-160-5800-200-7000-220-8100.
5.	Whether “Selection” post or "Non-selection" post.	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment.	Between 18 and 45 Years Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonmous Bodies after intial Constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.	**Essential Qualifications**: Must be a graduate from a recognised University. or its equivalent. **Desirable Qualification(s)**: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotee(s)	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable.
9.	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	i) 60% by direct recruitment or on contract basis. ii) 40% by promotion.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made:	By promotion from amongst the the Clerks/Junior Assistants of the Industries Department who possess 8 years regular or ewgular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade. Provided that for the purpose of promotion the incumbents with higher pay scale shall be kept enblock above of the eligible persons and thereafter the incumbenmts next in the lower pay scales shall be placed below it and so on. *Note*:—(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable

process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, that:—

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R& P Rules for the post, whichever is less; Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:— The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc

		appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules; Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the H.P.P.S.C is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law.
14.	Essential requirement for a direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standared/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.
15-A	Selection for appointment to post on Contract.	(I) **CONCEPT:** (a) Under this policy, the Manager (Industrial Estate) in the Department of Industries, H.P.will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year-to-year basis. (b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/HPPSB; - The Director of Industries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularisation or permanent absorption in Government job.

(II) **CONTRACTUAL EMOLUMENTS**:
The Manager (Industrial Estate) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.7500/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). An amount of Rs.160/- (equal to annual increase in the pay scale of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contact is extended beyond one year.

(III) **PPOINTING/DISCIPLIANRY AUTHORITY**:
The Director of Industries, H.P. will be appointing and isciplinary authority.

IV) **SELECTION PROCESS**:
Selection for appointment to the post in case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc.of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) **COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:**
As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e.Himachal pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) **AGREEMENT**:
After selection of a candidate, he/she has to sign an agreement as per **Annexure-B** appended to these Rules.

(VII) **TERMS AND CONDITIONS**:
(a) The contract appointee will be paid contractual amount @ Rs.7500/- per

month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount of Rs.160/- (equal to annual increase in the pay scale) per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointment shall not confer any right to the incumbent for the regularisation in service at any stage.

(d) Contract Appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one tweleve days in a calender year and causal leave not availed in calender year shall elapsed on the close of a calender year. No leave of any other kind is admissible to the Contract Appointee. He/she will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(e) Unauthorised absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of Contract Appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical

		Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorised Medical Officer/ Practitioner.
		(h) Contract Apponitee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials, at the minimum of pay scale.
		(VII) **RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT**: The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularisation/ permanent absorption as Manager (Industrial Estate) in Industries Department at any stage.
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination.	Not applicable
18.	Powers to relax.	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

_____

ANNEXURE – B

Form of contract/agreement to be executed between the Manager (Industrial Estate), and the Government of Himachal Pradesh through the Director of Industries, H.P.

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year..... Between Sh./Smt. _____ S/o/D/o Shri _____

_____ R/o _____ contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor Himachal Pradesh through Director of Industries, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Manager (Industrial Estate), on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Manager (Industrial Estate) for a period of one year commencing on the day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.7500/- per month (Which shall be equal to initial of the pay scale+dearness pay)

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual Manager (Industrial Estate) will be entitled for one-day casual leave after putting in onemonth service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Manager (Industrial Estate). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Manager (Industrial Estate) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contract Manager (Industrial Estate) shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Manager (Industrial Estate), at the minimum of pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY And SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 15/NT.

श्री मदन लाल बनाम आम जनता।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मदन लाल पुत्र श्री अन्नत राम, निवासी ओडर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Anshika का जन्म दिनांक 14–1–2004 है परन्तु ग्राम पंचायत कलयाड़ा में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अनशिखा का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14–8–2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 8–7–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर ।

आर0 डी0 हरनोट,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री सोम दत्त शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री जंगली राम पुत्र श्री धनिया राम, गांव भियाली (शरली–मानपुर), उप–तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जंगली राम पुत्र श्री धनिया राम, गांव भियाली (शरली–मानपुर), ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके लड़के गोपाल का जन्म तिथि 7–5–1999 को हुआ परन्तु अज्ञानतावश वह उसके जन्म तिथि ग्राम पंचायत शरली–मानपुर, के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है अथवा दर्ज की गई है जो गलत है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 8–8–2008 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र श्री जंगली राम पुत्र श्री धनिया पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 8–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। सोम दत्त शर्मा,
सहायक द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी पांवटा साहब, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 20 / 2008 तारीख पेशी 24–7–08

मिसल तकसीम जेर 123 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम,1954 वाकया मौजा कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

ब मुकद्दमा जीवन सिंह बनाम गगवीर सिंह

इश्तहार / नोटिस बनाम प्रतिवादीगण नम्बर : 31 सतविन्दर सिंह s/o श्री जयवीर सिंह, नम्बर 32 यश पाल सिंह s/o श्री जय वीर सिंह, नम्बर 33 लक्ष कुमार s/o श्री मुरारी लाल, r/o Vill कोलर, तहसील पांवटा साहिब ।

मुकद्दमा उपरोक्त में प्रतिवादीगण की तलबी आसान तरीके से न हो पा रही है । अतः प्रतिवादीगण को इस नोटिस / इश्तहार से सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त मुकद्दमे की पैरवी हेतू मिति 24–07–08 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होने अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी ।

आज दिनांक 07–07–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

हस्ता0 / –
सहायक समहर्ता प्रथम श्रेणी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती प्रकाशा देवी पत्नी श्री धनी राम, निवासी गांव ममाण, तहसील लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती प्रकाशा देवी पत्नी श्री धनी राम, निवासी गांव ममाण, तहसील लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी जन्म तिथि 1956 ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर में दर्ज है जबकि वास्तव में उसकी जन्म तिथि 17–12–1956 है जोकि ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस के द्वारा आम जनता को तथा वादियां के सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्रीमती प्रकाशा देवी की जन्म तिथि पंजीकरण किए जाने बारा कोई एतराज हो तो हमारी अदालत में दिनांक 28–7–2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा उक्त तिथि को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3–7–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, उप–मण्डल चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री कौर सिंह पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी गांव घन्याड़ी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (2) नाम दरुस्ती बारे।

श्री कौर सिंह पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी गांव घन्याडी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी ने इस कार्यालय में एक आवेदन पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय के साथ गुजारा है कि उस का नाम पंचायत रिकार्ड गोहर में तथा माल विभाग पटवार वृत्त गोहर में कौर सिंह पुत्र नन्द लाल दर्ज है परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्र में कंवर सिंह पुत्र नन्दू दर्ज है। अब वह पंचायत रिकार्ड तथा राजस्व विभाग के रिकार्ड में अपना नाम कौर सिंह उर्फ कंवर सिंह पुत्र नन्द लाल उर्फ नन्दू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम पंचायत रिकार्ड गोहर व पटवार वृत्त गोहर, तहसील चच्योट, जिला मण्डी के अभिलेख में कौर सिंह उर्फ कंवर सिंह पुत्र नन्द लाल उर्फ नन्दू दर्ज करने बारा यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर एवं एतराज असालतन या वकालतन हाजर आकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 5–8–2008 को या इससे पूर्व पेश कर सकता है। समय पर उजर व एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के ग्राम पंचायत गोहर व पटवार वृत्त गोहर के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में एतराज मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 5–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जगदीश जग्गी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री वैणी माधव पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी डिडणू, डा0 बरोटी, उप–तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री वैणी माधव पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी डिडणू, डा0 बरोटी, उप–तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम वैणी माधव है। परन्तु कागजात माल महाल डिडणू में उसका नाम गलत ''वीणू राम'' दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अपना ब्यान हल्फिया, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व स्कूल शिक्षा प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत कर रखे हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम व खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना उजर / एतराज दिनांक 4–8–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मामले का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30–6–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जगदीश जग्गी,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बी0 सी0 मिश्रा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री राकेश पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी समराहण, ईलाका तुंगल, उप–तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।

श्री राकेश पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी समराहण, ईलाका तुंगल, उप–तहसील कोटली, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र इस आशय से गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम राकेश है

जो ग्राम पंचायत व स्कूल प्रमाण–पत्र में दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में राजेश दर्ज हुआ है। जिसे दरुस्त किया जाकर राकेश किया जाये।

अतः सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 21–8–2008 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा हाजर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर। बी0 सी0 मिश्रा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री कर्म सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा

श्री मीना राम उर्फ मीन चन्द पुत्र तवारू राम, गांव मरहड़ा, डाकखाना व उप–तहसील निहरी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) । . .प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता । . .प्रत्यार्थीगण ।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) नाम दरूस्ती पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मीना राम उर्फ मीन चन्द पुत्र तवारू राम, निवासी मरहड़ा बदैहण, डा0 खा0 निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) वाले ने इस न्यायालय में नाम दरूस्ती हेतू प्रार्थना–पत्र पेश किया है । प्रार्थी का नाम पंचायत मरहड़ा बदैहण के जन्म एवं मृत्यु पंजीकार के अभिलेखों में व राजस्व अभिलेख में भी प्रार्थी का नाम मीन चन्द लिखा गया है । बल्कि प्रार्थी को मीना राम उर्फ मीन चन्द दोनों से जाना जाता है । नामों की भिन्नता के कारण प्रार्थी को असुविधा हो रही है । जिसकी दरूस्ती की जानी है ।

अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई भी उजर या एतराज हो तो वह पेशी दिनांक 28–7–08 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है ।

आज दिनांक 28–6–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

कर्म सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील निहरी,
जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री कर्म सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील निहरी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)

मिसल नं0 मरजुआ फैसला

श्री देवा नन्द वर्मा पुत्र शालीग्राम, निवासी गालहड़, डा0 सेरी कोठी, उप–तहसील निहरी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) । . .प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता । . .प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) नाम दरूस्ती पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री देवा नन्द वर्मा पुत्र शालीग्राम, निवासी गालड़, डा0 सेरी कोठी, उप–तहसील निहरी ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम शिक्षा प्रमाण–पत्र व दस्तावेज लेखन लाईसैंस में देवा नन्द वर्मा दर्ज है। जबकि पंचायत अभिलेख में उसका नाम देवा नन्द दर्ज है । ग्राम पंचायत सेरी कोठी के अभिलेख में देवा नन्द वर्मा दर्ज किया जावें ।

अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारा कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28–7–08 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे अपने ऐतराज प्रस्तुत कर सकता है ।

आज दिनांक 8–7–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

कर्म सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील निहरी,
जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

———

ब अदालत श्री कर्म सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील निहरी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)

मिसल नं0 मरजुआ फैसला

श्री देवा नन्द वर्मा पुत्र शालीग्राम, निवासी गाल्हड़, डा0 सेरी कोठी, उप–तहसील निहरी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) । . .प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता । . .प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) नाम दरूस्ती पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री देवा नन्द वर्मा पुत्र शालीग्राम, निवासी गाल्हड़ डा0 सेरी कोठी, उप–तहसील निहरी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसके पुत्र का नाम शिक्षा प्रमाण अभिलेख में योगेश कुमार वर्मा दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत सेरी कोठी के अभिलेख में उसके पुत्र का नाम योगेश कुमार दर्ज है पंचायत अभिलेख में योगेश कुमार वर्मा दर्ज किया जावे ।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारा कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28–7–08 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने ऐतराज पेश कर सकता है ।

आज दिनांक 28–6–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

कर्म सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील निहरी,
जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

———

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)

श्री रनजीत कुमार पुत्र श्री शाम चन्द, गांव तिंगरट, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.– प्रार्थना–पत्र बराए ग्राम पंचायत तिंगरट में सन्तान का जन्म पैदाईश तिथि तथा नाम दर्ज करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रनजीत कुमार पुत्र श्री शाम चन्द, गांव तिंगरट, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र शपथ–पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नी श्रीमती यंगडोल से एक सन्तान पुत्र कर्ण दिनांक 25–3–2007 को पैदा हुआ है जो जीवित तथा हयात है। प्रार्थी बराये मजदूरी पेशा होने के कारण अकसर घर से बाहर रहता है जिस कारण अपनी सन्तान का जन्म पैदाईश तिथि व नाम ग्राम पंचायत तिंगरट, उप–तहसील उदयपुर के पैदाइश रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत तिंगरट के पैदाईश रजिस्टर तथा परिवार रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि पंजीकृत कर दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की सन्तान की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत तिंगरट में पंजीकृत कर दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 6 अगस्त, 2008 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र उपरोक्त प्रार्थी की सन्तान की जन्म तिथि व

नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के पैदाईश रजिस्टर व परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कर पंजीकृत करवाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 5–7–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)

श्री नरेन्द्र मोहन पुत्र श्री मोती लाल, गांव बारिंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.– प्रार्थना–पत्र बराए ग्राम पंचायत मूरिंग में नाम दरुस्ती करवाने हेतु।
नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नरेन्द्र मोहन पुत्र श्री मोती लाल, गांव बारिंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र शपथ–पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी का नाम स्कूल प्रमाण–पत्र व फोटो पहचान पत्र मुताबिक नरेन्द्र मोहन लिखा गया है जबकि ग्राम पंचायत मूरिंग व रैविन्यू कागजात मुताबिक प्रार्थी का नाम मोहन लाल लिखा गया है। प्रार्थी का पिता अनपढ़ व देहाती होने से गलती से ग्राम पंचायत मूरिंग के पैदाईश एवं परिवार रजिस्टर में प्रार्थी का नाम मोहन लाल लिखा दिया है और मेरे पिता की मृत्यु के समय मैं बहुत छोटी आयु का था। परिवार नकल के मुताबिक ही रैविन्यू कागजात में मोहन लाल इन्तकाल बरासत नाम चढ़ गया है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत मूरिंग के पैदाईश रजिस्टर तथा परिवार रजिस्टर व रैविन्यू कागजात में अपना नाम नरेन्द्र मोहन करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम मोहन लाल का नाम नरेन्द्र मोहन ग्राम पंचायत मूरिंग के परिवार रजिस्टर एवं पैदाईश रजिस्टर व रैविन्यू कागजात में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 5 अगस्त, 2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत मूरिंग के पैदाईश रजिस्टर व परिवार रजिस्टर व राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करवाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 4–7–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)

श्री रामनाथ पुत्र श्री धर्मनन्द, गांव कमरिंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.– प्रार्थना–पत्र बराए ग्राम पंचायत मूरिंग में नाम दरुस्ती करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रामनाथ पुत्र श्री धर्मनन्द, गांव कमरिंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र शपथ–पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी के पुत्र को अपनी पत्नी श्रीमती शानदेई से एक सन्तान पुत्री ममता दिनांक 10–5–2003 को पैदा हुई है जो विनोद कुमार की पहली सन्तान है। ममता का बीमार रहने व चिड़चिड़े स्वभाव की होने से पंडितों व ज्योतिषों के मुताबिक ममता का नाम बदलकर सन्जना रखना पड़ रहा है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत मूरिंग के पैदाईश रजिस्टर तथा परिवार रजिस्टर में ममता का नाम अब सन्जना पंजीकृत कर दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र विनोद कुमार की पुत्री ममता का नाम सन्जना ग्राम पंचायत मूरिंग के परिवार रजिस्टर एवं पैदाईश रजिस्टर में पंजीकृत कर दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 5 अगस्त, 2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र की सन्तान का नाम ग्राम पंचायत जाहलमां के पैदाईश रजिस्टर व परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 4–7–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)

श्रीमती तन्जिन छोकू उर्फ डोलमा पत्नी श्री मोरूब उर्फ ङोसडुप दोरजे उर्फ नुरडुप दोरजे पुत्र श्री बेता छेरिंग, गांव तिंगरट, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय.– प्रार्थना–पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती तन्जिन छोकू उर्फ डोलमा पत्नी श्री मोरूब उर्फ ङोसडुप दोरजे उर्फ नुरडुप दोरजे पुत्र श्री बेता छेरिंग, गांव तिंगरट, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र शपथ–पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थीनी के पति की मृत्यु दिनांक 8–10–2007 को हुई है जो हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। उनका नाम राजस्व अभिलेख में मोरूब पुत्र बेता लिखा गया है और पंचायत तिंगरट, उप–तहसील उदयपुर के परिवार रजिस्टर में ङोसडुप दोरजे उर्फ अंगरूप लिखा गया है। अब प्रार्थीनी अपने पति का नाम रैवन्यू कागजात व पंचायत में मोरूब उर्फ ङोसडुप दोरजे की बजाए अंगरूप उर्फ ङोसडुप दोरजे पुत्र बेता छेरिंग करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थीनी के पति का नाम राजस्व अभिलेख व पंचायत में दरुस्ती करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 5 अगस्त, 2008 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र उपरोक्त प्रार्थीनी के पति का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट व राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करवाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 4–7–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)

श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री छेरिंग दोरजे, गांव हालिंग, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय.– प्रार्थना–पत्र बराए ग्राम पंचायत जाहलमां में जन्म पैदाईश तिथि तथा नाम दर्ज करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री छेरिंग दोरजे, गांव हालिंग, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र शपथ–पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नी श्रीमती अंगर्मो से तीन सन्तान पुत्र राजेन्द्र कुमार जन्म पैदाईश तिथि 15–5–1977 तथा सुरेन्द्र कुमार जन्म पैदाईश तिथि 15–6–1979 व पुत्री सावित्री देवी दिनांक 17–9–1983 को पैदा हुई है जो जीवित तथा हयात है। प्रार्थी बराये नौकरी पेशा होने से अकसर घर से बाहर रहता है जिस कारण अपनी सन्तानों की जन्म पैदाइश तिथियां ग्राम पंचायत जाहलमां, उप–तहसील उदयपुर के पैदाईश रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत जाहलमां के पैदाईश रजिस्टर तथा परिवार रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि पंजीकृत कर दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की सन्तानों की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत जाहलमां में पंजीकृत कर दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 6 अगस्त, 2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र उपरोक्त प्रार्थी की सन्तानों का नाम तथा जन्म

तिथियां ग्राम पंचायत जाहलमां के पैदाईश रजिस्टर व परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 5–7–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)

श्री छेरिंग दोरजे सुपुत्र श्री तेन्जिन, गांव जाहलमां, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय.– प्रार्थना–पत्र बराए ग्राम पंचायत जाहलमां के परिवार रजिस्टर एवं पैदाईश रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री छेरिंग दोरजे सुपुत्र श्री तेन्जिन, गांव जाहलमां, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र शपथ–पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी के पुत्र रमेश की जन्म पैदाइश तिथि स्कूल प्रमाण–पत्र मुताबिक 4–3–1977 है। रमेश की जन्म पैदाईश तिथि ग्राम पंचायत जाहलमां, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति के पैदाईश रजिस्टर तथा परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अनपढ़ एवं देहाती आदमी है, जब रमेश पैदा हुआ तो गलती से ग्राम पंचायत जाहलमां, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति के पैदाइश रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज न करवा सका जो कि अब प्रार्थी रमेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जाहलमां, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति के पैदाइश रजिस्टर व परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र रमेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जाहलमां में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 7 अगस्त, 2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र रमेश की जन्म तिथि 4–3–1977 ग्राम पंचायत जाहलमां के पैदाईश रजिस्टर व परिवार रजिस्टर में पंजीकृत कर दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 5–7–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)

श्री रविन्द्र सुपुत्र श्री छेरिंग दोरजे, गांव शुक्टो, उप–मण्डल उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय.– ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर एवं पैदाईश रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री रविन्द्र सुपुत्र श्री छेरिंग दोरजे, गांव शुक्टो, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र शपथ–पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी के छोटे भाई सोनम टशी की मृत्यु दिनांक 3–5–2008 को हुई है। सोनम टशी को अपनी पत्नी छेवांग लामो से एक सन्तान दोरजे दिनांक 11–2–2004 को व अंगमो दिनांक 3–3–2005 को व तीसरी सन्तान सुजल दिनांक 10–9–2007 को पैदा हुई है। प्रार्थी का भाई अनपढ़ एवं देहाती होने से समय पर अपने उपरोक्त बच्चों का जन्म पैदाईश तिथि ग्राम पंचायत तिंगरट के पैदाईश तथा परिवार रजिस्टर में दर्ज न कर सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत तिंगरट, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति के परिवार रजिस्टर तथा पैदाईश रजिस्टर में उपरोक्त बच्चों का नाम व जन्म तिथियां पंजीकृत कर दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चों के ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर एवं पैदाईश रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 6 अगस्त, 2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र उपरोक्त बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर एवं पैदाईश रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 5–7–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत इं अनुपम कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्री तण्डुप छेपल सुपुत्र श्री दन्डुप ज्ञालछन, गांव रंगरिक, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय.– ग्राम पंचायत कोलंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में शादी पंजीकृत / बच्चों का नाम जन्म तिथियां दर्ज करने बारे।

श्री तण्डुप छेपल सुपुत्र श्री दन्डुप ज्ञालछन, गांव रंगरिक, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने शपथ–पत्र व प्रार्थना–पत्र सहित आवेदन किया है कि उनकी शादी 15–4–1991 को श्रीमती छेतन डोलमा पुत्री श्री नोरबू राम, गांव जोबरंग के साथ स्थानीय रीति रिवाज के साथ हुई थी। लेकिन किसी कारणवश वह अपनी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोलंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण नहीं करवा पाया, जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहते हैं साथ ही प्रार्थी अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां क्रमशः सोनम छोमो जन्म तिथि 19–9–1992, छेरिंग टशी 27–12–1998 को ग्राम पंचायत कोलंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री तन्डुप छेपल के शादी पंजीकरण तिथि 15–4–1991 व उनके बच्चों का नाम व जन्म तिथियों को ग्राम पंचायत कोलंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 2–8–2008 को या इससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर / एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 2–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। इं अनुपम कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत इं अनुपम कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्री रामसिंह सुपुत्र श्री खाची राम, गांव सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय.– ग्राम पंचायत सिस्सू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री रामसिंह सुपुत्र श्री खाची राम, गांव सिस्सू, तहसील लाहौल ने शपथ–पत्र व प्रार्थना–पत्र सहित आवेदन किया है कि किसी कारणवश वह अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत सिस्सू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका था जिसे अब दर्ज करवाना चाहते हैं। बच्चों के नाम व जन्म तिथियां निम्न प्रकार से हैं;–

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.	रजनी पुत्री रामसिंह	13–8–1981
2.	दीपक कुमार पुत्र रामसिंह	23–10–1986
3.	रीना पुत्री रामसिंह	20–2–1989
4.	अर्चना पुत्री रामसिंह	11–11–1990

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री रामसिंह के उक्त बच्चों का नाम व जन्म तिथियों को ग्राम पंचायत सिस्सू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

रजिस्टर में दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 2–8–2008 को या इससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर / एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 2–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। इं अनुपम कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत इं अनुपम कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)

श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री नन्द लाल, गांव शुगू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय.– पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु लाहौल स्पिति स्थान केलांग के पंजीकरण रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री नन्द लाल, गांव शुगू, तहसील लाहौल ने शपथ–पत्र व प्रार्थना–पत्र सहित आवेदन किया है कि उनकी पुत्री हीना कटोच का नाम व जन्म तिथि 26–2–1989 को किसी कारणवश पंजीकाध्यक्ष जन्म एवं मृत्यु लाहौल स्पिति स्थान केलांग के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं कर सका, जिसे अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को हीना कटोच पुत्री नन्द लाल, गांव शुगू का नाम व जन्म तिथि 26–2–1989 को पंजीकाध्यक्ष, जन्म एवं मृत्यु लाहौल स्पिति स्थान केलांग के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 2–8–2008 को या इससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर / एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 2–7–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। इं अनुपम कुमार,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलांग, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित